



कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जिला-कोरबा(छ0ग0)

दूरभाष नं. 07759-224500, फ़ैक्स नं. 07759-224031, ईमेल-sp-korba.cg@gov.in

-: आदेश :-

आवेदिका निवासी कोरबा द्वारा प्रेषित शिकायत अनुसार आरोपी प्रवीण डहरिया द्वारा शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया गया। बाद में शादी की बात बोलने पर फरार हो गया था। उसके द्वारा थाना सिविल लाईन रामपुर में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी के विरुद्ध वर्तमान में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी.कोरबा के न्यायालय में प्रकरण लंबित है। उसके द्वारा प्रकरण के विवेचक सउनि अनिता खेस को एस.एम.एस चैट, व्हाट्सअप चैट, फ़ैसबुक चैट मय पेनड्राईव में अपलोड कर व प्रिंट आउट निकलवाकर दिया गया था, किन्तु उक्त साक्ष्य संलग्न नहीं होने पर उसने प्रकरण के विवेचक सउनि अनिता खेस से जानना चाही तो उसे गाली देकर भगा दिया गया तथा आरोपी को पकड़ने के लिये एवज में 20,000/-रु. उगाही किया जाना, आदि तथ्य उल्लेखित की है। शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्य बेहद गंभीर एवं संवेदनशील है। प्रकरण के विवेचक सउनि अनिता खेस द्वारा महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से न लेकर अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतना प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रहा है।

अतः पदीय दायित्वों/कर्तव्यों में बरती गई लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के लिये सउनि अनिता खेस, थाना सिविल लाईन रामपुर, कोरबा को आज दिनांक 05.12.2025 के अपरान्ह से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय रक्षित केन्द्र, कोरबा रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार अनुषांगिक भत्ते प्राप्त होंगे।


सिद्धार्थ तिवारी(भापुसे)
पुलिस अधीक्षक

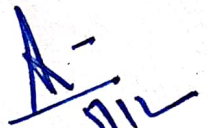
जिला-कोरबा(छ.ग.)

दिनांक : 05/12/2025

क्र:पुअ./कोरबा/स्टेनो-1/फान-05/निलंबन/ 12 /2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. नगर पुलिस अधीक्षक, कोरबा की ओर सूचनार्थ। प्रकरण में प्राथमिक जांच कर अपना प्रतिवेदन 05 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु।
02. रक्षित निरीक्षक को ओ.बी. हेतु।
03. थाना प्रभारी, सिविल लाईन रामपुर कोरबा।
04. मुलि/स्थापना/आंकिक वेतन, जिपुका कोरबा।
05. सउनि अनिता खेस को उचित माध्यम से सूचनार्थ व पालनार्थ।


पुलिस अधीक्षक
जिला-कोरबा(छ.ग.)